कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील / आरटीआई / 20 / 2023

श्री वासुदेव पुत्र नत्थीसिंह जाति जाटव निवासी ग्रांम व पोस्ट बहज तहसील डीग जिला भरतपुर ......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, डीग जिला भरतपुर ...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

दिनांक 28.6.2023

आदेश

अपीलार्थी श्री वासुदेव पुत्र नत्थीसिंह जाति जाटव निवासी ग्रांम व पोस्ट बहज तहसील डीग जिला भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार का अधिनियम के तहत इस आश्य की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 2–2–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी डीग से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी डीग द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 379 दिनांक 8.6.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी डीग से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी डीग का जबाब पत्र क्रमांक आरटीआई / 23 / 2701 दिनांक 26.6.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपने आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 2.2.2023 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीग से सूचना चाही गई थी, इस सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी डीग से प्राप्त जबाब दिनांक 26.6.2023 का अवलोकन किया गया, उपखण्ड अधिकारी ने अपने जबाब में कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उसे जरिये पत्र कमांक आरटीआई / 23 / 368 दिनांक 23.2.23 से भिजवाई जा चुकी है। जबाब के साथ प्राप्त फोटो प्रति पत्र जो कि प्रार्थी को भेजा गया है के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रार्थी को वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी ने उपलब्ध करादी गई है। यानि उपखण्ड अधिकारी डीग

......2

अपील / आरटीआई / 20 / 2023
बासुदेव बनाम एस.डी.ओ. डीग

के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है। अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी को (एस.डी.ओ.डीग से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न कर) भेजी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एस.डीओ. डीग को प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर